

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या  
15/96/2021

रजिस्ट्रेशन नं०  
2021/236

प्रवेश तिथि  
27/07/2021

निर्णय दिनांक  
10.09.2021

- 1- CANARA BANK, ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

प्रार्थी

बनाम

- 1- M/S MICA INDUSTRIES LTD., A-36, 2<sup>nd</sup> FLOOR, RING ROAD RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110027.

ALSO AT:

G-1031 & G 1032, PHASE III, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHIWADI, DISTRICT ALWAR (RAJASTHAN)-301019

ALSO AT: E-92, PHASE-2, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHIWADI, DISTRICT ALWAR (RAJASTHAN)-301019

- 2- MR. VINAY GUPTA, 58, BEARCH COURT, NIRWANA COUNTRY SECTOR-50, GURUGRAM (HARYANA)
- 3- MR. VIKAS GOEL, 68, TATVAM VILLA, SECTOR-48 SOHAN ROAD GURUGRAM (HARYANA)
- 4- MR. SIDDHANT GUPTA, 58, BEARCH COURT, NIRWANA COUNTRY SECTOR-50, GURUGRAM (HARYANA)
- 5- MRS. USHA GUPTA, 58, BEARCH COURT, NIRWANA COUNTRY SECTOR-50, GURUGRAM (HARYANA)
- 6- MS. NIHARIKA GOEL, 68, TATVAM VILLA, SECTOR-48, SOHNA ROAD, GURUGRAM (HARYANA)
- 7- M/S OCEAN BUILDTECH PVT. LTD., 72, MANDIR MARG, HALDERPUR INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI
- ALSO AT: 58 BEARCH COURT, NIRWANA COUNTRY SECTOR-50, GURUGRAM (HARYANA)

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 24,00,00,000/-रूपये (RS. 20,00,00,000 & 4,00,00,000) & RS. 9,50,00,000 = 33,50,00,000/- (Rupees Thirty Three Crore Fifty Lakh Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 19.10.2020 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 39,70,51,427.23 /-(Rupees Thirty Nine Crore Seventy Lakh Fifty One Thousand Four Hundred Twenty Seven And Paise Twenty Three Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के साथ की अदायगी नहीं की गई।



तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति 1<sup>st</sup> PARI PASSU CHARGE ON FACTORY LAND & BUILDING MEASURING 4276 SQ. MTRS. SITUATED AT PLOT NO. G-1031 & G-1032, INDUSTRIAL AREA, PHASE-III, BHIWADI, ALWAR (RAJASTHAN), IN THE NAME OF M/S MICA WIRES PVT. LTD. (EARLIER NAME OF THE COMPANY.) को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।


उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त 1<sup>st</sup> PARI PASSU CHARGE ON FACTORY LAND & BUILDING MEASURING 4276 SQ. MTRS. SITUATED AT PLOT NO. G-1031 & G-1032, INDUSTRIAL AREA, PHASE-III, BHIWADI, ALWAR (RAJASTHAN), IN THE NAME OF M/S MICA WIRES PVT. LTD. (EARLIER NAME OF THE COMPANY.) को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(नन्नुमल पहाड़िया)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर